संख्या- 590 /33-3-2016/15 सी.एम./2013

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 08 मार्च, 2016

विषय : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल (वर्ष 2012-2017) के लिए परिकल्पित (concieved) की गयी है। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2013 से योजना की मार्गदर्शिका जारी की गयी। जारी मार्गदर्शिका के सिद्धान्तों के अनुसार कुल योजना लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की व्यवस्था की गई थी। तत्क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में संस्तुत योजनाओं को माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-55/33-3-2014-15सी.एम./2013, दिनांक 11 जनवरी, 2014 से वार्षिक योजना 2012-13, 2013-14 एवं दीर्घ योजना (Perspective Plan) वर्ष 2012-17 भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान को केन्द्रीय सहायता से डिलिंक कर दिया गया, किन्तु भारत सरकार के स्तर पर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत गठित सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की चतुर्थ बैठक में यह सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में योजना के कुछ घटकों की शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी एवं वर्ष 2015-16 हेतु रू. 96.7 करोड़ की धनराशि मुख्यतः क्षमता संवर्द्धन के लिए अनुमोदित की गयी है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश में संशोधन किया जायेगा। योजनान्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्यपाल निम्नांकित मार्गनिर्देश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1) योजना का उद्देश्य

पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि हेतु पंचायतों में–

- आम आदमी की उत्तरोत्तर भागीदारी हेतु पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना।
- पंचायतों को 73वाँ संविधान संशोधन के अनुरूप अधिकारों की सुपुदर्गी
- पंचायतों में जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन
- संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण

2) योजना के घटक / गतिविधियाँ

- प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता– इस मद के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से पंचायत सहायक की सेवाएं ग्राम पंचायत सचिव की सहायता हेतु ली जा सकेंगी।
- ग्राम पंचायत भवन
  - नये पंचायत भवन बनाया जाना
  - क्रिटिकल गैप की पूर्ति हेतु पूर्व निर्मित पंचायत भवनों की मरम्मत, बैरियर फ्री एक्सेस, शौचालय निर्माण, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था
- पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय क्षमता संवर्द्धन ढांचे (एन.सी.बी.एफ.) के आधार पर क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु फण्ड उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, हेल्पडेस्क के माध्यम से क्षमता संवर्द्धन करना।
- प्रशिक्षण हेतु राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर संस्थागत ढ़ांचा तैयार करना
  - राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में अतिरिक्त संकाय एवं रख–रखाव।
  - क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थान में अतिरिक्त संकाय प्रदान करना एवं रख–रखाव करना।
  - क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थानों का उच्चीकरण।
  - 821 विकास खण्डों में रिसीविंग एण्ड हेतु इक्युपमेन्ट आदि।
- पंचायतों का ई–इनेबलमेन्ट
  - इस मद के अन्तर्गत पी.ई.एस. (पंचायत इन्टरप्राइज सूट) का क्रियान्वयन, नये साफ्टवेयरों का विकास एवं रख–रखाव, सर्वर, डाटा सेन्टर, हास्टिंग चार्जेज, कनेक्टिविट, सिक्योरिटी ऑडिट एवं डिजिटल सिग्नेचर पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था ।
  - बेसिक एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रशिक्षण।

- हार्डवेयर की स्थापना
- कम्प्यूटर शिक्षित मैनपावर की उपलब्धता
- भारत सरकार के साफ्टवेयर के साथ प्रदेश सरकार के सॉफ्टवेयर का इन्टरफेस

- राज्य निर्वाचन आयोग का सुदृढ़ीकरण
- अभिनव प्रयोग के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियां
- आई.ई.सी. (प्रचार–प्रसार) हेतु विभिन्न गतिविधियां
- कार्यक्रम प्रबन्धन

3) पूर्व से चल रही निम्नलिखित चार योजनाएं राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान में समविलीन (subsumed) होंगी–

- पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना
- पंचायत महिला पंचायत सशक्तीकरण योजना
- ई–पंचायत
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

4) योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन–

(1) राज्य स्तर पर तीन समितियों का गठन–राज्य स्तर पर निम्नलिखित रूप से चार (4) समितियां गठित की गई हैं :–

(क) पंचायत स्टेट स्टेयरिंग कमेटी:

• मा0 मंत्री जी, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
• कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य / सचिव
• प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
• प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

- प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन। सदस्य
- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ। सदस्य
- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। सदस्य
- अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। सदस्य
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 2 से अनाधिक विशेष आमंत्री सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्वः
पंचायत स्टेट स्टेयरिंग कमेटी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगेः–

- पंचायत स्टेट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के सम्बन्ध में सुझाव एवं मार्गदर्शन पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी एवं स्टेट रिव्यू कमेटी को समय–समय पर देगी।
- योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की समीक्षा की जायेगी।

बैठकेंः
उक्त समिति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जायेंगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकेंगी।

(ख) पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटीः

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन। अध्यक्ष
- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन। उपाध्यक्ष
- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। सदस्य सचिव

निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा भाग न लिये जाने की स्थिति में नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो।

- वित्त विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0शासन। सदस्य
- महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- प्राथमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य

- युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- वित्त विभाग, उ0प्र0शासन। सदस्य
- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ। सदस्य
- उप महानिदेशक/स्टेट इनफोरमैटिक्स आफीसर, एन.आई.सी. लखनऊ। सदस्य
- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। सदस्य
- अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। सदस्य
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 2 से अनाधिक विशेष आमंत्री सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्वः

पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगेः–

- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत तैयार की गई योजनाओं को राज्य स्तर से स्वीकृत करना।
- स्वीकृत योजनाओं को पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाना।
- निश्चित अन्तराल पर योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण समीक्षा किया जाना।
- नीतिगत निर्णय लिया जाना।
- स्टेट स्टेयरिंग कमेटी को कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराया जाना।
- योजना से सम्बन्धित विभागों के बीच अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाना।

बैठकेंः

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(ग) स्टेट रिव्यू कमेटीः

- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। अध्यक्ष
- विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन। सदस्य
- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। उपाध्यक्ष
- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि (जो संयुक्त निदेशक के स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो)। सदस्य
- अपर/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। सदस्य/सचिव
- मुख्य वित्त एवंलेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। सदस्य

- परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0। — सदस्य
- उपनिदेशक(पं0) (योजना एवं निर्मल भारत अभियान से सम्बन्धित), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। — सदस्य
- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0। — सदस्य
- जि0पं0रा0अधि0(मु0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। — सदस्य
- पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित तकनीकी निदेशक, एनआईसी, लखनऊ। — सदस्य
- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) — विशेष आमंत्री
- चार प्रगतिशील ग्राम पंचायत प्रधान — विशेष आमंत्री
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 2 से अनाधिक विशेष आमंत्री सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्वः

स्टेट रिव्यू कमेटी द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगाः–

- यथावश्यक योजना तैयार कर पंचायत स्टेट एक्जक्यूटिव कमेटी के समक्ष रखना।
- ऐसे बिन्दुओं का चिन्हाकन जिन पर नीतिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो।
- कार्यक्रम का अनुश्रवण व प्रगति समीक्षा।
- ऐसे बिन्दुओं जिनमें अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो, का चिन्हांकन।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आये अवरोधों को दूर किया जाना।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से नियमित सम्पर्क बनाये रखते हुए प्रगति सूचनाऐं एवं धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र आदि भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।
- अभियान के अनुश्रवण एवं बेहतर संचालन के लिए आववश्यक निर्णय एवं दिशा–निर्देश जारी करना, परन्तु कार्योत्तर अनुमोदन स्टेट पंचायत एक्जीक्यूटिव कमेटी से प्राप्त किया जायेगा।
- स्वीकृत योजना के अनुसार योजना की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कराना।

बैठकें

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(घ) कार्यकारी समिति (Executive Committee):

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। यह समिति उपरोक्त तीनों कमेटियों (पंचायत स्टेट स्टेयरिंग कमेटी, पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी एवं स्टेट रिव्यू कमेटी) के निर्देशों का अनुपालन करायेगी एवं राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगें। राज्य स्तर पर खाते का संयुक्त संचालन निदेशक/अध्यक्ष, नोडल अधिकारी, आर.जी.पी. एस.ए./सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी निर्णय एवं उनका क्रियान्वयन कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा एवं स्टेट रिव्यू कमेटी के समक्ष की बैठक में निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

1)	निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।	अध्यक्ष
2)	नोडल अधिकारी, आर.जी.पी.एस.ए.।	सदस्य सचिव
3)	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य

5) कार्यक्रम प्रबंधन:

(i) कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए आउटसोर्सिंग/संविदा के माध्यम से तैनात किये स्टाफ के वेतन, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, किराये पर लिये गये वाहनों के प्रभारों, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कार्टेज, अभियान की निगरानी और मूल्यांकन, योजनान्तर्गत आयोजित बैठकों आदि पर खर्च की गई धनराशि शामिल होगी।

(ii) अभियान को पेशेवर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञ/परामर्शदाता योजना अवधि के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर नियुक्त किये जायेंगे। परामर्शदाताओं की फीस का भुगतान कार्यक्रम प्रबन्धन मद से किया जायेगा। अनुश्रवण एवं भारत सरकार की बैठकों/कार्यशालाओं/ प्रशिक्षणों में प्रतिभाग, एक्सपोजर विजिट इत्यादि पर आने वाले यात्रा–भत्ता व्यय आदि का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

(iii) कार्यकारी समिति के अधीन राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई का गठन एवं संचालन–

1.	अपर/संयुक्त/उपनिदेशक(नोडल अधिकारी), आर.जी.पी. एस.ए., पंचायती राज, उ.प्र.।	विभाग का नामित अधिकारी
2.	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभाग का नामित अधिकारी
3.	तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., भारत सरकार	एन.आई.सी. के प्रभारी अधिकारी
4.	कार्यक्रम प्रभारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय
5.	एकाउन्टेन्ट/खजांची, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय
6.	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (निक्सी के माध्यम से)	1
7.	एकाउन्ट एक्सपर्ट (निक्सी के माध्यम से)	1

8.	तकनीकी कन्सलटेन्ट (निक्सी के माध्यम से)	1
9.	स्टेट प्लानर (निक्सी के माध्यम से)	1
10.	कन्सलटेन्ट–कैपेसिटी बिल्डिंग (संविदा से)	1
11.	कन्सलटेन्ट– मानीटरिंग एण्ड इवेलुएशन (संविदा से)	1
12.	डोमेन कन्सलटेन्ट(जी.पी.डी.पी.)(संविदा/आउटसोर्सिंग से)	1
13.	आफिस असिसटेन्ट (निक्सी के माध्यम से)	1
14.	कम्प्यूटर आपरेटर (आउटसोर्सिंग से)	2
15.	आफिस स्टाफ/आफिस हेल्पर (आउटसोर्सिंग से)	3

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्य–

(क) वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।

(ख) ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन कराना।

(ग) कार्यक्रम से सम्बन्धित सरकारी शासनादेशों का आलेख्य तैयार करना।

(घ) पंचायत इण्टरप्राइज सूट के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा विकसित एप्लीकेशन साफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(च) साफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना एवं कराना।

(छ) योजना के घटकों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव, आर.एफ.पी., ई.ओ. आई. आदि तैयार करना।

(ज) भारत सरकार एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सम्पर्क कर योजना का क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना।

(झ) विभाग को तकनीकी एवं कियान्वयन सम्बंधी परामर्श प्रदान करना।

(ञ) योजना के क्रियान्वयन हेतु बिड प्रोसेस मैनेजमेन्ट करना।

(ट) पंचायत प्रतिनिधियों/ कर्मियों का क्षमता विकास करना एवं कराना।

(ठ) योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का लेखे–जोखे का पृथक से रख–रखाव आदि।

(ड) कार्यक्रम का प्रबन्धन करना।

(ढ) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्टेट ई–गवर्नेन्स स्टेट ग्रुप का भी संचालन पंचायतों का ई–इनेबलमेन्ट मद के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के आधार पर पृथक से किया जा सकता है। साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी हेल्प डेस्क का गठन भी इस

मद से किया जा सकता है। निक्सी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध रिसौंसेज के अतिरिक्त राज्य स्तर पर तैनात कन्सलटेन्ट/अन्य कार्यरत विभागीय कार्मिकों का परामर्शी शुल्क, मानदेय, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, आयोजित बैठकों/ कार्यशालाओं/ प्रशिक्षणों, किराये के वाहनों एवं अन्य कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध कार्यक्रम प्रबन्धन मद से किया जायेगा।

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंध इकाई निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के नियंत्रण एवं उनकी देख–रेख तथा मार्ग–दर्शन में कार्य करेगी।

(iv) जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद स्तर पर निम्नवत होगी–

1.	जिला पंचायत राज अधिकारी (नोडल अधिकारी, आर. जी.पी.एस.ए.), उ.प्र.।	पदेन विभाग का शासकीय अधिकारी
2.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,	पदेन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से
3.	जिला परियोजना प्रबन्धक (निक्सी के माध्यम से)	1
4.	अपर जिला परियोजना प्रबन्धक (निक्सी के माध्यम से)	1 (आवश्यकतानुसार)
5.	कन्सलटेन्ट आर0जी0पी0एस0ए0 (आउटसोर्सिंग)	1

जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के कार्य–

(क) पंचायत इण्टरप्राइज सूट के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(ख) राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई, डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. एवं अन्य स्टेक होल्डर से सम्पर्क कर योजना का क्रियान्वयन करना।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विकसित एप्लीकेशन साफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(घ) साफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना एवं कराना।

(ङ) ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन कराना।

(च) विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(छ) जनपद स्तर पर कार्यक्रम का प्रबन्धन करना।

(ज) पंचायत कर्मियों का क्षमता विकास करना एवं कराना।

(झ) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य।

(ञ) जिला परियोजना प्रबन्धकों का एम.पी.आर. संस्तुति सहित प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक एन.आई.सी./निदेशालय को ई–मेल के माध्यम से भेजा जाना।

उपरोक्त इकाई जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीनस्थ होगी। उपरोक्त इकाई पर होने वाले व्यय का भुगतान राज्य स्तर से निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. के द्वारा किया जायेगा।

(v) कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है:–

- वाहनों की खरीद
- भूमि और भवनों की खरीद
- औपचारिक भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण,
- किसी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर व्यय
- उपहार और दान पर व्यय

(6) उपभोग प्रमाण–पत्र:

निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. द्वारा कार्यपूर्ति के पश्चात् उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजे जाने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। राज्य स्तर एवं जनपद स्तर से निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, उपभोग प्रमाण–पत्र संकलित कर भारत सरकार को प्रदान करेंगे।

भवदीय,

(चंचले कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : /1/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजि सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. समस्त मा0 सदस्य, उपरोक्त से सम्बन्धित समिति हेतु।
7. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।